मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित

प्रधान कार्यालय, न्यू मार्केट, तात्या टोपे नगर, भोपाल (म0प्र0)
कार्यालय दूरभाष क्रं 0755–2674738 , 7024116538

वाहन विक्रय सूचना

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल के निम्नलिखित वाहन ''जहॉं हैं, जैसी हैं'' की स्थिति में बंद निविदा प्रकिया से विक्रय किया जाना है। वाहनों का अवलोकन बैंक मुख्यालय, टी.टी. नगर भोपाल में कार्यालयीन समय (अवकाश के दिनों को छोड़कर) में किया जा सकता है । इच्छुक पार्टियों/व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रत्येक वाहन के लिये पृथक–पृथक आवेदन पत्र राशि रु 500.00 (18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त) मात्र में बैंक से प्राप्त करने होंगे । सीलबंद निविदाऐं पृथक – पृथक वाहन के लिये पृथक – पृथक धरोहर राशि रू. **20,000/–** (रू. बीस हजार मात्र)} बैंक के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ **दिनांक 17.03.2025 से दिनांक 07.04.2025** को दोपहर **5.00** बजे तक बैंक कार्यालय में जमा करना होगा एवं मुहर बंद निविदाऐं दिनांक **11.04.2025** को अपरान्ह 01.00 बजे बैंक मुख्यालय भोपाल में खोली जावेंगी । अन्य नियम व शर्ते कार्यालयीन दिवस में देखे जा सकते है । किसी भी समय बिना कारण बताये प्राप्त आवेदनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार ''प्रभारी प्रबंध संचालक'' को होगा । विज्ञापन एवं शर्ते बैंक की वेबसाईट www.apexbankmp.in पर भी देखी जा सकती हैं । उपरोक्त वाहन विक्रय सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना अथवा संशोधन संबंधी जानकारी केवल बैंक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी। विक्रय योग्य वाहनों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	वाहन क्रमांक	मेक	मॉडल	ईंधन
1.	MP04CJ8612	INNOVA	2012	डीजल
2.	MP04CN00010	SANTAFEE	2014	डीजल

प्रभारी प्रबंध संचालक

म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय, टी0टी0 नगर, भोपाल
वाहन नीलामी की नियम व शर्ते

1. म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, के वाहन ''जहॉ है, जैसी है'' की स्थिति में बंद निविदा से विक्रय किया जाना है।
2. वाहनो की बंद नीलामी समिति के समक्ष दिनांक 09/**04/2025** को बैंक मुख्यालय में पूर्वान्ह 1.00 बजे आमंत्रित बंद निविदा खोली जावेगी। निविदाकर्ता अपने साथ एक या अधिकतम दो व्यक्तियों को नीलामी स्थल पर ला सकता है ।
3. इच्छुक पार्टी/व्यक्ति को वाहन की नीलामी प्रकिया में भाग लेने के लिये प्रत्येक वाहन हेतु पृथक–पृथक धरोहर राशि देय होगी जिसके अंतर्गत चारों वाहनों हेतु पृथक –पृथक से रू. 20,000/– (रू. बीस हजार मात्र) का ड्राफट प्रभारी प्रबंध संचालक म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, के नाम से जारी कर जमा करें , आवेदन पत्र के साथ ड्राफट संलग्न करते हुये दिनांक 05/**04/2025** को दोपहर **5.00** बजे तक जमा करना अनिवार्य है ।
4. वाहनों के विक्रय हेतु आफसेट मूल्य(प्रारक्षित मूल्य) से कम राशि की निविदा स्वीकार नही की जावेगी । विक्रय किये जाने वाले वाहनो का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	वाहन क्रं	मेक	वर्ष	ईंधन	ऑफसेट मूल्य
1.	MP04CJ8612	INNOVA	2012	Diesel	550000.00
2.	MP04CN0010	SANTAFEE	2014	Diesel	675000.00

(उपरोक्त वाहनो का रोड टैक्स लाईफ टाईम पैड है।)

निविदा आवेदन पत्र पर उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होना चाहिये, जिसके नाम से वाहन अंतरित होना है ।

5. वाहन विक्रय की ऑफर राशि स्वीकृत होने की दशा में उच्चतम बोलीकर्ता की धरोहर राशि ही समायोजित की जावेगी एवं अन्य बोलीकर्ताओ की धरोहर राशि वापिस कर दी जावेगी ।
6. वाहन विक्रय का आफर स्वीकृत होने पर , वाहन विक्रय की एकमुश्त राशि वाहन केता को बैंक के द्वारा ऑफर पत्र देने के पश्चात् सात दिवस में जमा कराना अनिवार्य होगा एवं वाहन ''जहॉ है, जैसी है'' की स्थिति में उक्त स्थान से उठाना अनिवार्य है अन्यथा निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि राजसात की जाकर द्वितीय उच्चतम निविदाकर्ता को ऑफर की गई राशि पर प्रबंध संचालक के द्वारा यदि स्वीकृति दी गई तो वाहन विक्रय किया जावेगा । अन्यथा की स्थिति में नीलामी निरस्त की जाकर पुनः नीलामी की प्रक्रिया की जावेगी ।
7. बोलीकर्ता का आफर स्वीकृत होने के पश्चात् कार्यालय से बोलीकर्ता के नाम से ही वाहन का केवल विक्रय पत्र दिया जावेगा । **विक्रित वाहन का आधिपत्य केता द्वारा नाम ट्रांसफर कराये जाने के उपरांत बैंक के द्वारा दिया जावेगा** । आर.टी.ओ. कार्यालय आदि से संबंधित समस्त औपचारिकतायें केता को स्वयं के व्यय पर कराना होगी ।
8. विक्रय योग्य वाहन म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, मुख्यालय परिसर, टी.टी. नगर, भोपाल में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक(अवकाश के दिवसों को छोड़कर) देखे जा सकते है।
9. प्रत्येक वाहन के लिये पृथक–पृथक आवेदन प्रपत्र बंद निविदा एवं पृथक–पृथक धरोहर राशि का ड्राफट जमा करना अनिवार्य होगा ।
10. विक्रित वाहन का बीमा केता व्दारा कराया जावेगा, बीमा ट्रांसफर नहीं किया जावेगा केता को नवीन बीमा कराकर बीमा की पॉलिसी की छायाप्रति वाहन सुर्पदगी के सात दिवस में बैक को देना होगा।
11. बिना कोई कारण बताये नीलामी स्थगित करने या तिथि परिवर्तन करने का अधिकार ''प्रभारी प्रबंध संचालक'' म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित'' को होगा ।
12. वाहन केता व्दारा वाहन मूल्य के साथ समस्त जीएसटी, शासकीय करो एवं उपकर आदि का भुगतान पृथक से किया जाना अनिवार्य होगा। जिसकी गणना 31.03.2025 पर वाहन की बुक वैल्यु पर की जावेगी।
13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद का क्षेत्र माननीय सहकारी न्यायालय, भोपाल मध्यप्रदेश रहेगा ।

प्रभारी प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित